संख्या:171/2024/473/35-4-2024/001-35-4099/54/2024

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:31 मार्च, 2024

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत कार्य की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद गोरखपुर में **यूनिवर्सिटी चौराहा से छात्रसंघ चौराहा तक दोनों तरफ आर0सी0सी0 नालाहाट मिक्स प्लांट द्वारा सडक नवीनीकरण एवं एण्ड टू एण्ड पेविंग** का कार्य की शासनादेश सं0-127/2024/370/35-4-2024/35-4099/54/2024 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा रू. 950.95 लाख की लागत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू 475.47 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र सं0-1421/त्व0आ0वि0यो0/2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में उक्त कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के स्थान पर नगर निगम, गोरखपुर को को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। कार्यदायी संस्था द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु प्रभावी आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य कराया जायेगा।

2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:171/2024/473(1)/35-4-2024/001-35-4099/54/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर।
10-मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
15- अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग/ नगर निगम, गोरखपुर।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in